

12/2/20

पत्रावली पेशा पार्थी व विपार्थी सं. 1 से 2 के
वरीस अपा पत्रावली के अवलोकन से यह होता
है कि प्रमाण 25। ए-रि-म-ज-ग-हो-ने-से-इ-ए-
न्यायालय के अधिकार में नहीं होने से अपाउ
अधिकारी चौक को प्रेषित। स्थानान्तरित की जाती
है। पत्रावली अपाउ अधिकारी चौक को भेजा
जावे। न्यायालय की संपत्ति से कट हो।

Balli

सहायक कलक्टर
पत्रावली-देक। चौक

